न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
बइजलास श्रीमती रीना आर.ए.एस.
अनुवान धर्मपाल बनाम रामजीलाल वगैरा
दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम
व 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
दावा सं. 17/2021
निर्णय दिनांक 08.04.2021

धर्मपाल उर्फ जैयलाल पुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट उम्र 60 वर्श निवासी ढीलकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी–

बनाम्

1. रामजीलाल
2. प्रताप
3. किशन

पि0 स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

4. मु. सावित्री पत्नी स्व. फतेहसिंह
5. राजेन्द्र पुत्र स्व. फतेहसिंह
6. श्रवण कुमार पुत्र स्व. फतेहसिंह

जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

7. मु. शारदा पुत्री स्व. फतेहसिंह पत्नी रोताश निवासी दीपलाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति –

श्री गोपाल कृष्ण सिंहाग एडवोकेट वास्ते वादीगण।
श्री अमरचन्द सिद्ध प्रतिवादी सं0 1 ता 07।
पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं 08।

निर्णय

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार हैं कि रोही मौजा बिल्युं बास महियान तहसील सरदारशहर में स्थित में कृषि भूमि साबिका ख.नं. 69 तादादी 54.02 बीघा भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 तथा प्रतिवादीया सं. 04 के पति एवं प्रतिवादीगण सं. 05 ता 07 के पिता स्व. फतेहसिंह ने दिखणादे पासे की 27.01 बीघा भूमि विक्रेता खातेदारान को वैध प्रतिफल राशि अदा कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर बैनामा दिनांक 30.06.1973 कार्यालय उप–पंजीयक सरदारशहर के समक्ष विक्रेता से अपने हक में पंजीकृत करवा लिया तथा मौके पर ऐलानिया तौर पर काबिज होकर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03, 4/5 हिस्सा ब.हि.ब. तथा फतेहसिंह वल्द श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी का स्वर्गवास दिनांक 05.05.2012 को बमुकाम चक 12 G.G.M. ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में हो जाने से स्व. फतेहसिंह से विरासत में अर्जित 1/5 हिस्सा को प्रतिवादीगण सं. 04 ता 07 ब.हि.ब. काबिज होकर काश्त करते हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ता 07 के मध्य अपने–अपने हिस्सों के मुताबिक वादगत भूमि को काबिज होकर काश्त करने में आपस में कोई विवाद नहीं है।

पंजीकृत बैनामा दिनांक 30.06.1973 की रूह से वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 व वादी के भाई स्व. फतेहसिंह के हक में नामान्तरणकरण सं. 64 ग्राम पंचायत बिल्यु बास रामपुरा द्वारा दिनांक 25.04.1975 को तस्दीक किया जाकर बाद अमल दरामद वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 व स्व. फतेहसिंह के हक में राजस्व अभिलेखों में खातेदारी ब.हि.ब. दर्ज की गई। वादी एवं

प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 अपनी 4/5 हिस्सा भूमि को ब.हि.ब. तथा प्रतिवादीगण सं. 04 ता 07, स्व. फतेहसिंह से विरासत में अर्जित 1/5 हिस्सा को ब.हि.ब. काबिज होकर काश्त करते हैं। बिल्यु बास महियान में स्थित भूमि ख.न. 69 तादादी 54.02 बीघा के ख.नं. 224/69 मी. तादादी 27.01 बीघा एवं ख.नं. 225/69 तादादी 27.01 बीघा कायम किये गये। वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के ख.नं. 224/69 तादादी 27.01 बीघा कायम किये गये। बैनामा पंजीकृत करवाने के समय बैनामा में प्रलेख लेखक की लिपिकीय त्रुटिवश वादी के वास्तविक प्रचलित नाम धर्मपाल पुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर की बजाय बैनामा दिनांक 30.06.1973 में वादी का नाम जैयलालपुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर अंकित हो गया। जबकि वादी का वास्तविक प्रचलित नाम धर्मपाल पुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर है।

वादी का वास्तविक एवं प्रचलित नाम जैयलाल के बजाय धर्मपाल पुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर है।वादी के मतदाता पहचान पत्र क्रमांक RJ/01/002/384602, आधार कार्ड 572346511117, परिवार राशन कार्ड बार कोड सं. 006873100876, भामाशाह परिवार पहचान सं. VHKJKRJ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के खाता सं. 61219841385,मतदाता सूचियों तथा पटवार हल्का ढीलकी जाटान तहसील नोहर की रोही मौजा 11 G.G.M. में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 90 एवं 12 G.G.M. में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 38 इत्यादि समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम जैयलाल की बजाय वास्तविक प्रचलित नाम धर्मपाल अंकित है, जबकी बैनामा दिनांक 30.06.1973 में प्रलेख लेखक की लिपिकीय त्रुटिवश वादी के वास्तविक प्रचलित नाम की बजाय वादी का नाम जैयलाल अंकित हो जाने से इसकी रूह से तस्दीक इंतकाल में भी वादी का नाम बैनामा में अंकितानुसार ही वास्तविक प्रचलित नाम धर्मपाल के बजाय जैयलाल अंकित हो जाने से राजस्व रिकॉर्ड में वादी के वास्तविक नाम धर्मपाल के बजाए प्रलेख लेखक की रही लिपिकीय त्रुटि से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जैयलाल अंकित रहने से वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राजस्व अभिलेखों में वादी के अंकित नाम जैयलाल को दुरूस्त कर उसके स्थान पर वादी का वास्तविक अभिलेखित नाम धर्मपाल अंकित किये जाने से राज्य को किसी भांति कोई राजस्व की हानि या अन्य प्रकार से कोई नुकसान या क्षति नहीं होगी। इसलिए वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायासंगत है।

वादी को संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड की नकलें दिनांक 12.01.2021 को हासिल करने पर उक्त लिपिकीय त्रुटि बाबत् सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पहले वादी को उक्त लिपिकीय त्रुटि बाबत् कोई ईल्म नहीं था। वादी ने प्रतिवादी सं. 08 को राजस्व अभिलेखों में अंकित गलत नाम दुरूस्त कर वादी का वास्तविक नाम धर्मपाल पुत्र स्व. श्योकरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 08 ने दिनांक 15.01.2021 को इन्कार कर देने से अदालतवाला के समक्ष दावा हाजा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस प्रकार वादीगण ने घोषणात्मक खातेदारी एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर रोही मौजा बिल्यु बास महियान तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.न. 100 तादादी 6.8400 हैक्टेयर भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 अविभाजित 4/5 हिस्सा के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादीगण सं. 04 ता 07 अविभाजित 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार व काबिज, काश्तकार है। राजस्व अभिलेखों में वादी के अंकित नाम जैयलाल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम धर्मपाल पुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने को प्रतिवादी सं. 08 को आदेशित किये जाने का आग्रह किया हैं।

वादी द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

1. पटवारी द्वारा जारी नामान्तरकरण पंजिका ग्राम बिल्यूबास रामपुरा ।
2. वादी के आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. वादी के मतदाता पहचान–पत्र की छायाप्रति।
4. वादी के भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।
5. वादी के राशन कार्ड की छायाप्रति।
6. वादी के बैंक पासबुक की छायाप्रति।
7. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी फतेह सिंह का मृत्यु प्रमाण–पत्र।
8. ग्राम पंचायत ढ़ीलकी जाटान द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
9. जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खसरा नम्बर 100 की छायाप्रति।
10. जमाबन्दी 11 G.G.M. सम्वत् 2072–2075 खाता संख्या 90 की छायाप्रति।
11. जमाबन्दी 12 G.G.M. सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या 38 की छायाप्रति।

वादीगण की ओर से वाद न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दिनांक 01.02.2021 को दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 01 ता 07 की ओर से श्री अमरचन्द सिद्ध एडवोकेट उपस्थित हुए और इकबाल जबाब दावा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार राज द्वारा दिनांक 31.03.2021 को जबाब दावा फर्द पेश किया जिसके अनुसार दावा हाजा में राज्यहित नहीं हैं। वादी का नाम धर्मपाल उर्फ जयलाल घोषित किया जाता हैं तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादी सं0 1 ता 07 ने दावा में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपने इकबाल जबाब दावा में अंकन किया है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 1 ता 7 को कोई आपति नहीं है और अपनी सहमति वादीगण के हक में दी। किसी भी पक्षकार द्वारा दावा का खण्डन नहीं किये जाने से तनकी विरचित नहीं की गई और पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि रोही मौजा बिल्यु बास महियान तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.न. 100 तादादी 6.8400 हैक्टेयर भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 अविभाजित 4/5 हिस्सा के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादीगण सं. 04 ता 07 अविभाजित 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार व काबिज, काश्तकार की भूमि हैं एवं इसके राजस्व अभिलेखों में वादी के अंकित नाम जैयलाल को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम धर्मपाल पुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ करवाने का वादी हकदार हैं वादीगण का यह भी तर्क रहा कि वादीगण के दावा के सम्बन्ध किसी भी पक्षकार ने कोई उज्र आपति नहीं की है और वादी अपने दावा में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं और दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

वकील पक्षकारान के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादीगण के जबाब दावों एवं राज पैरोकार के जबाब दावा में उल्लेखित तथ्यों पर मनन किया गया। हस्तगत वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 अविभाजित 4/5 हिस्सा के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादीगण सं. 04 ता 07 अविभाजित 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार हैं एवं वादी के समस्त दस्तावेज में वादी का नाम जैयलाल की बजाय धर्मपाल पुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हैं, जिसकी पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य व इकबाल जबाब दावा से भी होती है। उक्त दावा के तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया और राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर इकबाल जबाब दावा के आधार पर निर्णित करना उचित समझती हूं एवं वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

आदेश

वर्णित विवेचन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा बिल्यु बास महियान तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.न. 100 तादादी 6.8400 हैक्टेयर भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 अविभाजित 4/5 हिस्सा के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादीगण सं. 04 ता 07 अविभाजित 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार व काबिज, काश्तकार है। राजस्व अभिलेखों में वादी के अंकित नाम जैयलाल के स्थान पर वादी का नाम धर्मपाल उर्फ जैयलाल पुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं. 08 तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 08 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे एवं निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
बइजलास श्रीमती रीना आर.ए.एस.
अनुवान धर्मपाल बनाम रामजीलाल वगैरा
दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम
व 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
दावा सं. 17/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोपाल कृष्ण सिंहाग एडवोकेट मिनजानिब मुदई हाजरी श्री अमरचन्द सिद्ध एडवोकेट मिनजानिब मुदायलाह पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेष होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि रोही मौजा बिल्यु बास महियान तहसील सरदारशहर में स्थित कृषि भूमि हाल ख.न. 100 तादादी 6.8400 हैक्टेयर भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 ता 03 अविभाजित 4/5 हिस्सा के ब.हि.ब. एवं प्रतिवादीगण सं. 04 ता 07 अविभाजित 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार व काबिज, काश्तकार है। राजस्व अभिलेखों में वादी के अंकित नाम जैयलाल के स्थान पर वादी का नाम धर्मपाल उर्फ जैयलाल पुत्र स्व. श्योकरण जाति जाट निवासी ढीलकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं. 08 तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 08 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे एवं निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

....बीज........................ ....मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 04 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत.................. मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	02	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00